न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 79 / 2018

1. श्री ललितसिंह वयस्क पुत्र स्व.श्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुण्ड का लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

---------प्रार्थी

ब ना म

1. श्री राजेन्द्रसिंह वयस्क पुत्र श्री गजेन्द्रसिंह
2. श्री नरेन्द्रसिंह वयस्क पुत्र श्री गजेन्द्रसिंह
3. श्री पुष्पेन्द्रसिंह वयस्क पुत्र श्री गजेन्द्रसिंह
4. श्री योगेन्द्रसिंह वयस्क पुत्र श्री गजेन्द्रसिंह
5. श्री मतिराणावत वयस्क पत्नि श्री गजेन्द्रसिंह राठौड

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कुण्ड का लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

6. श्री पन्ना वयस्क पुत्र श्री छोगा
7. श्री धुकल वयस्क पुत्र श्री छोगा
8. श्री श्रीराम वयस्क पुत्र श्री छोगा
9. श्री हगामा वयस्क पुत्र श्री छोगा
10. श्री छगना वयस्क पुत्र श्री छोगा
11. श्री उगमा वयस्क पुत्र श्री छोगा
12. श्री देबी वयस्क पुत्र श्री छोगा
13. श्री प्रभू वयस्क पुत्र श्री छोगा

समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम कुण्ड का लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

14. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड हौण्डर तहसीलदार, मसूदा, (राज.)।

----अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 08.01.2010

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा ग्राम, लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के अनुसार खसरा संख्या 1218 रकबा 06–13–00. 1219 रकबा 07–00–00. 1220 रकबा 02–02–00. 1221 रकबा 02–00–10. 1222 रकबा 13–10–00. 1223 रकबा 02–1[illegible] 1224 [illegible] –10. 1225 रकबा 00–08–00. 1226 रकबा 09–18–00. बीघा भूमि प्रार्थी की [illegible] में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार [illegible] है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी की [illegible] की सीमाओं को [illegible] विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमि[illegible] किया जाना न्यायहित [illegible] अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमियों पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:19 IST
Reason: SelfAttested

................लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)

श्री ललितसिंह बनाम श्री राजेन्द्रसिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 79/2018

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 14 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि मौजा लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के अनुसार खसरा संख्या 1218 रकबा 06–13–00. 1219 रकबा 07–00–00. 1220 रकबा 02–02–00. 1221 रकबा 02–00–10. 1222 रकबा 13–10–00. 1223 रकबा 02–17–00. 1224 रकबा 00–02–10. 1225 रकबा 00–08–00. 1226 रकबा 09–18–00. बीघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के अनुसार खसरा संख्या 1218 रकबा 06–13–00. 1219 रकबा 07–00–00. 1220 रकबा 02–02–00. 1221 रकबा 02–00–10. 1222 रकबा 13–10–00. 1223 रकबा 02–17–00. 1224 रकबा 00–02–10. 1225 रकबा 00–08–00. 1226 रकबा 09–18–00. बीघा भूमि का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 08.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:19 IST
Reason: SelfAttested

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.